उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–2009/आठ–1–21–17बैठक/2018टी0सी0VI
लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2021) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन नियमावली, 2021 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम — 1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 कही जाएगी।

सामान्य संशोधन — 2. उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन नियमावली, 2021 में ,—

एक– शब्द "अध्यादेश" जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाएगा।

दो– शीर्षक से पूर्व आने वाले पैरा में, शब्द, अंक और प्रतीक "उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2021)", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन्, 2021) रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्याः 2009(1)/आठ–1–21–17 बैठक/2018टीसी VI तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 17.12.2021 के असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 के खण्ड (क) (परिनियम आदेश) में प्रकाशित करायें तथा 500 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
17.12.2021
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

संख्याः 2009(2)/आठ–1–21–17 बैठक/2018टीसी VI तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उ0प्र0।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उ0प्र0।
7. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उ0प्र0।
8. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
11. समस्त जिला न्यायाधीश, उ0प्र0।
12. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
13. सचिव, राज्य विधि आयोग, लखनऊ।
14. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
15. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
16. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0।
17. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र लखनऊ।
18. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
19. संसदीय कार्य अनुभाग–1।
20. विधि परामर्शी पुस्तकालय, उ0प्र0 सचिवालय।
21. भाषा अनुभाग–1/5, उ0प्र0 शासन।
22. विधायी अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
23. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
24. गार्ड बुक।

16.12.2021

आज्ञा से,
17.12.2021
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

Uttar Pradesh Shasan

Aawaas Evam Shahri Niyojan Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English transaltion of Notification no. **2009**/Eight-1-21-17Baithak /2018T.C.VI dated 17 December, 2021 :

NOTIFICATION

No. 2009/Eight-1-21-17Baithak/2018T.C.VI

Lucknow: Dated: 17December, 2021

In exercise of the powers conferred by section 44 of the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 (U.P. Act no. 16 of 2021) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Rules, 2021:

The Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (First Amendment) Rules, 2021

Short title

1. These rules shall be called the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (First Amendment) Rules, 2021.

General amendment

2. In the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Rules, 2021,—

   i. for the word "Ordinance" wherever occurring, the word "Act" shall be substituted;

   ii. in the paragraph occurring before the heading, for the words, figures and symbols "Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 3 of 2021)", the words, figures and symbols "Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 (U.P. Act no. 16 of 2021)" shall be substituted.

By order,

(Deepak Kumar)

Pramukh Sachiv.